

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/9966-10006

दिनांक 19/12/18

कोषाधिकारी
समस्त।

विषय:- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में हितकारी निधि
डिडक्शन जोड़ने के क्रम में।

महोदय,


विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन से हितकारी निधि की डिडक्शन (जो माह दिसम्बर देय माह जनवरी के वेतन से की जानी है) जोड़ने को को-ऑपरेटिव डिडक्शन के रूप में जोड़ने की सुविधा डीडीओं लॉगिन में उपलब्ध है, जिसका पाथ निम्नानुसार है :-

DDO Login - Deduction Master - Co-Operative deduction

अतः संबंधित डीडीओं अपने स्तर से उक्त डिडक्शन को जोड़े जाने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय

www.rajteachers.com


(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/

दिनांक

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर को सूचनार्थ
प्रेषित है।


अतिरिक्त निदेशक (IFMS)